

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

निसात फॉर्म

(विद्यार्थी का पुरा नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

मेरा /पुरी/ नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित ACNN.

मेरे नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्वर्ष प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/की हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के बड़यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यगिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के बड़यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

निसात फॉर्म

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

निसात फॉर्म

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्षतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) पटना उस तिथि को 17 दिन — माह 01 वर्ष 2017

निसात फॉर्म

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि — माह — वर्ष — को शपथपत्र की अंतर्वर्षतु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुवत्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवाकु द्वारा शपथपत्र

मैं श्री/ श्रीमती/ निमिला देवी (माता-पिता/ अभिवाकु का पुरा नाम)

का AC/18 (संस्थान का नाम) मैं नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/ किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक प्रद्वा/ पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/ मेरी पाल्य के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/ मेरी पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/ देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/ मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/ पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/ मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होंगे/ होंगी, न उकसाएंगे/ उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/ करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
5) मैं इसके द्वारा रखीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/ मेरी पाल्य विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/ होंगी।
6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/ मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे रखीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

निमिला देवी
शपथकर्ता का हस्ताक्षर
नाम : निमिला देवी

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) पटना उस तिथि को — दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

निमिला देवी
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक रखीकार किया और मेरी उपरिथि में तिथि — माह — वर्ष — को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुर्वत्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

VIJAY KUMAR

मैं, (विद्यार्थी का पूरा नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

शकुंतला सिंह (विद्यार्थी का नाम) ACNN

में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्वृष्टि प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / देती हूँ कि
 - ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षट्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

Vijay Kumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : VIJAY KUMAR

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (रथान) PATNA उस तिथि को — दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Vijay Kumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक रत्नीकार किया और मेरी उपरिथित में तिथि —— माह —— वर्ष —— को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

SHAKUNTALA SINGH

मैं, श्री/ श्रीमती/ (माता-पिता/ अभिवावक का पुरा नाम)

का VIJAY KUMAR (नामांकण/पर्याप्तजीवन/पूर्णीकृत संख्या सहित) में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्य के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होंगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्य विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यर्स्त किया जा सकता है।

Shakuntala Singh

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Shakuntala Singh

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) PATNA उस तिथि को – दिन 17 माह 1 बर्ष 2017

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार विया और मेरी उपरिथिति में तिथि —— माह —— बर्ष —— को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं (विद्यार्थी का पूरा नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित) अनुल ज्योति

लागूनाश प्रसाद सिंह

(संस्करण : का. ना.) ACNN, AKU, PAI

मैं नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / ~~देती~~ हूँ कि
 - ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा / ~~पड़ूँगी~~ जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होऊँगा / ~~होऊँगी~~, न उकसाऊँगा / ~~उक्साउँगी~~ और न ही प्रचार करऊँगा / ~~करूँगी~~ जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षट्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरुत किया जा सकता है।



शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : अनुल ज्योति

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) PATNA उस तिथि को – दिन 17 माह 01 वर्ष 2017



शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यापिता पूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपरिथति में तिथि — माह — वर्ष — को शपथपत्र वी अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवाकु द्वारा शपथपत्र

मैं श्री/श्रीमती/

(माता-पिता/अभिवाकु का पुरा नाम) जोगरना॑प प्रसाद सिंह

का (संस्थान का नाम) ACNN, Patna में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होंगी, न उकसाएंगे/उक्साएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा रखीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे रखीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यर्त किया जा सकता है।

जोगरना॑प प्रसाद सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : जोगरना॑प प्रसाद सिंह

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) पटना उस तिथि को – दिन 18 माह 01 वर्ष 2017

जोगरना॑प प्रसाद सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक रखीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि — माह — वर्ष — को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं AMBEDKAR KUMAR VERMA (विद्यार्थी का पुणे नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

पुणे/संघर्ष केन्द्रीय/संसदीय LATE DEO KUMAR VERMA (बैंकिंग/कानूनी ज्ञान) ACNN में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / देती हूँ कि
 - ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करऊँगा/करऊँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरुत किया जा सकता है।

Ambedkar Kumar Verma

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : AMBEDKAR KUMAR VERMA

सत्यापन

सत्यापित कियां जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) PATNA उस तिथि को — दिन 17 माह 01 बर्ष 2017

Ambedkar Kumar Verma

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक रखीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि —— माह —— बर्ष —— को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/ SITA VERMA (माता-पिता/अभिवावक का पुरा नाम)

का AMBEDKARI KUMAR VERMA (पाल्य संख्या संहिता) मैं नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्य के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होंगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्य विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

Sita Verma
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : SITA VERMA

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं, तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) PATNA उस तिथि को – दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Sita Verma
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि —— माह —— वर्ष —— को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं

नामीकृति के पास नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

ACNN PATNA

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/की हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्कापित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

gali
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Naveen Kumar

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) PATNA उस तिथि को - दिन 17 माह 01 बर्ष 2017

gali
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- बर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/ विजेन्द्र बलाल-राम अभिवावक का पुरा नाम।

(ज्ञानलीन इकुमार नामांकण पंजीयन, मुंबई राहिल)

का ACN (संस्थापिका नाम) में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग करा है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्य के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होगें/होंगी, न उकसाएंगें/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्य विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होगें/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

Bibhutiben Rau

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) Patna

उस तिथि को — दिन 17 माह 01 बर्ष 2017

Bibhutiben Rau

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि —— माह —— बर्ष —— को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं, सोनू कुमार

(विद्यार्थी का परा नाम नामांकण/पंजीयन/स्वीकरण संख्या सहित)

बालगीकरण चौचर्चरी

(संस्कृत भाषा) ACNIN, PATNA

में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्वृष्टि प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के बड़यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यगिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करऊँगा/करऊँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के बड़यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

सोनू कुमार

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
नाम : सोनू कुमार

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) पटना – उस तिथि को – दिन 18 माह ५ बर्ष २०१७

सोनू कुमार
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- बर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुवत्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवाकुक द्वारा शपथपत्र

वान्मानि

(माता-पिता/अभिवाकुक का पुरा नाम)

मैं,

श्री/श्रीमती

(माता-पिता/अभिवाकुक का पुरा नाम)

का ACNN (संरथान का नाम) में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संरथानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होगें/होंगी, न उकसाएंगें/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होगें/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संरथान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

का नामी हूँ मैं

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) पट्टन उस तिथि को – दिन १० माह ०१ बर्ष २०७२

का नामी हूँ मैं

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- बर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं सम्पूर्णानन्द (वार्षिक पूरा नाम नामांकण/पंजीयन/स्वीकारण संख्या सहित)

मैं नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर धूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जाएगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्वृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / प्राई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करऊँगा/करऊँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षट्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

सम्पूर्णानन्द

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : सम्पूर्णानन्द

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) पूर्वी उस तिथि को 17 दिन मई माह 2017

सम्पूर्णानन्द

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपरिथित में तिथि —— माह —— बर्ष —— को शपथपत्र वरी अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

गैं, श्री/ श्रीमती/

(माता-पिता/अभिवावक/नाम, जीवन का नाम)

का A (गृहन) का नाम में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्य के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / प्राई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/द्वेषी हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होंगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्य विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

ग्रामनंद निंद
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) महीनी उस तिथि को १७ दिन माह वर्ष २०१७

ग्रामनंद निंद
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार विया और मेरी उपरिथित में तिथि —— माह —— वर्ष —— को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुवत्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

ABHISHEK RANJAN

(विद्यार्थी का पुरो नाम नामांकण / पंजीयन / सूचीकरण संख्या सहित)

मुझे / मुझी का / मीरा का RAMBHAWAN BAIWA (अंतर्वर्षता हा लाभ) ACNN में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्वर्ष प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा / पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया / ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / देती हूँ कि
 - ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा / पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा / होऊँगी, न उकसाऊँगा / उकसाऊँगी और न ही प्रचार करऊँगा / करऊँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Abhishek Ranjan
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : ABHISHEK RANJAN

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्षतु मेरी संवैचाम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) PATNA उस तिथि को — दिन 17 माह 01 बर्ष 2017

Abhishek Ranjan
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि — माह — बर्ष — को शपथपत्र की अंतर्वर्षतु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

गाता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

RAMBHAWAN BAITHA

(गाता-पिता/अभिवावक का पुरा नाम)

ABHAYSHER RANA

का (संस्थान का नाम) ALNN में नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होंगे/होंगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्प्रवण या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

रामगण लैटा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : रामगण लैटा।

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) पटना उस तिथि को – दिन १५ माह ०१ बर्ष २०१७

रामगण लैटा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- बर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं

श्रीमती भृष्णु

(विद्यार्थी का पुरा नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

उद्ध/पुत्री (रो) / लोकी द्वारा दिया गया नाम 42011 Ric (स्थान: गोपनीय ACNN, PATNA)

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्वृष्टि प्राक्षणों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के बड़यन्त्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/~~पड़ूँगी~~ जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करऊँगा/~~करऊँगी~~ जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के बड़यन्त्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Shashi Bhushan

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : श्रीमती भृष्णु

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) 42011 उस तिथि को — दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Shashi Bhushan

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक रखीकार किया और मेरी उपरिथित में तिथि —— माह —— वर्ष —— को शपथपत्र वी अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवाक द्वारा शपथपत्र

७२४८९ Ric

(माता-पिता/अभिवाक का पुरा नाम)

मैं, श्री/श्रीमती/ विजय बुधा (नाम नामकरणपूर्णजीयम्/पूर्णीकृत संस्थान संस्थान संहिता) ८०५०५५
का (संस्थान का नाम) PCMC में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग
की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि
प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह
समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्य
के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी
पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा
होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पढ़ेगा/पढ़ेगी जो विनियम की
कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होगें/होगीं, न
उकसाएंगें/उकसाएगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत
रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या
तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्य
विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होगें/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के
षट्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित
नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है
कि मेरा नामांकण न्यरत किया जा सकता है।

७२५०१ निंदा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

७२५०१ निंदा

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र
का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) पुणी उस तिथि को – दिन १३ माह ०१ बर्ष २०२२

७२५०१ निंदा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपरिथित में तिथि —— माह —— बर्ष —— को शपथपत्र की
अंतर्वर्स्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं AMIT KUMAR

(विद्यार्थी का पुरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संबंध सहित)

मैं नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उक्साने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यगिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उक्साऊँगा/उक्साऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उक्साने, उसे बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Amitkumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Amit kumar

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) PATNA उस तिथि को – दिन 17 माह 01 बर्ष 2017

Amitkumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ---- बर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

गैं, श्री/श्रीमती/ Nageshwar Prasad Singh (माता-पिता/अभिवावक का पुरा नाम)

का ACNN (संस्थान का नाम) में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्य के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होगें/होंगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा खीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्य विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होगें/होंगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे खीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यर्स्त किया जा सकता है।

नागेश्वर प्रसाद सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Nageshwar Prasad Singh

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (स्थान) PATNA उस तिथि को – दिन 17 माह 01 बर्ष 2017

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक खीकार किया और मेरी उपरिथिति में तिथि ---- माह ---- बर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वर्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं, अर्चना (विद्यार्थी) का पुरा नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

अर्जनी कुमार शर्मा (नामांकण संख्या) ACNN

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
 - ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होऊँगा/होऊँगी, न उक्साउँगा/उकसाउँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

अर्चना

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : अर्चना

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) पट्टना उस तिथि को — दिन १५ माह ०१ वर्ष २०१८

अर्चना

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक रचीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि —— माह —— वर्ष —— को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ॥

ग्राता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/पूर्णजीवनकृष्ण-पिता/अभिवावक का पूरा नाम _____

का (संस्थान का नाम) पूर्णजीवन नामांकण के पश्चात् “उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009” (इसके पश्चात् “विनियम” कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्य के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता / देती हूँ कि
 - ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्य ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो समिलित होगें/होंगी, न उकसाएंगें/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्य विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होगें/होंगें।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्य रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्पाषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

पूर्णजीवनकृष्ण
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

पूर्णजीवनकृष्ण

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है – (रथान) पटना उस तिथि को – दिन १८ माह १ बर्ष २०१७

पूर्णजीवनकृष्ण
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपरिथिति में तिथि ---- माह ---- बर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त